Qualification for Appointment of food Inspector

542. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Committee for Food Standards had in its 23rd Meeting in the year 1976-77 set up a panel for studying and defining the qualifications for the appointment of Food Inspectors with a view to prevent the adulteration in food articles;

(b) if so, whether it is also a fact that Food Inspector thus acts also as Veterinary Officer in view of prohibition in the sale of adulterated meat unfit for human consumption in the interest of public health;

(c) whether Government have since prescribed degree in Veterinary Science as a qualification for the appointment of Food Inspector as recommended by the Central Committee for Food Standards in its 24th Meeting in the year 1977; and

(d) if not, what are the reasons for inserting the qualification of degree in veterinary Science for the appointment of Food Inspector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARATHA): (a) to (d) The Central Committee for Food Standards in its 23rd meeting held in the year 1976 set up a panel for prescribing the necessary qualification and experience for the appointment of Food Insptctors. Based on the recommendation of the panel and suggestions received from the State Governments, the Central Committee on Food Standards, in its meeting held in December, 1977, recommended that graduate in Veterinary Science be included as one of the qualtifications for Food Inspector for ensuring quality of milk and milk products and meet and meat products. Accordingly graduate in Veterinary Science has been prescribed as one of the qualification for Food Inspectors.

बिहार में कालाआजार के कारण मौतें

543. **श्री राम अवधेश सिंह :**
श्री कृष्ण कुमार बिरला :
श्री चतुरानन मिश्र :
श्री जगदीश जानी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कालाआजार से हजारों लोग मर रहे हैं, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष इस बीमारी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या सरकार इस महामारी पर नियंत्रण के लिए भी वैसा ही अभियान चलाने का विचार रखती है जैसाकि चेचक के मामले में किया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने इस महामारी पर काबू पाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से सहायता मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में कालाआजार के कारण हुई सूचित की गई मौतों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	मौतों की संख्या
1988	123
1989	477
1990 (अनन्तिम)	589
1991 (अनन्तिम)	436 (अगस्त तक)

(ख) से (घ) सरकारने काला-आजार की समस्या से युद्ध स्तर पर निपटने का निर्णय लिया है तथा विभिन्न उपचारी उपायों के समयबद्ध कार्यान्वियन के लिए एक कार्य-योजना तैयार की गई है । इस योजना में केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच विभिन्न जिम्मेदारियां निश्चित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

केन्द्रीय सरकार

1. वैक्टर नियंत्रण ऑपरेशन के लिए डी० डी० टी० 50% डब्ल्यु डी की की पर्याप्त मात्रा में खरीद एवं आपूर्ति करना ।

2. काला आजार के ऐसे रोगियों के उपचार के लिए, जो प्रथम उपचार के लिए, जो प्रथम उपचार औषध अर्थात् सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं । पैंटामिडाइन आइसोथायोनेट के इंजेक्शनों की पर्याप्त मात्रा में खरीद एवं आपूर्ति करना ।

3. काला आजार के रोगियों के उपचार के लिए देश में विनिर्मित प्रथम उपचार औषध सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट की खरीद और आपूर्ति ।

बिहार सरकार

1. काला आजार के रोगियों का शुरू में पता लगाना तथा उपचार करना एवं उपयुक्त अनुवर्तन ।

2. विभिन्न स्तरों पर सुस्पष्ट दायित्वों और जिम्मेदारियों सहित विशेष रूप से काला आजार के लिए पर्याप्त आधार-भूत ढांचा तैनात करना ।

3. कार्यकलापों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अनुवर्तन सहित प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार ।

4. प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति सहित पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधायें ।

5. कड़ी सहयोगी और सतत निगरानी और मूल्यांकन के अंतर्गत कार्यक्रम के अनुसार डी डी टी के छिडकाय कार्य की व्यवस्था ।

6. वेक्टर तथा परजीवी दोनों की नियमित मॉनिटरिंग तथा निगरानी ।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने रुपया मुद्रा, विपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत आय तितपैंटामिडाइन आइसोथायनेट की खरीद के लिए स्वास्थ्य संगठन से सहायता मांगी । युनिसेफ ने भी हिबार सरकार को सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए 15.55 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की है ।

Dowry-Deaths

544. KUMARI ALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state-

(a) the number of dowry-deaths took place during the past six months; and

(b) what effective steps are being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) A statement showing available figures of dowry-death cases registered during the past six months is enclosed. (*See* below)

(b) The registration, investigation, detection and prevention of crimes including those involving dowry deaths is the responsibility of the State Governments/Union Territories. However, the Government of India have initiated a number of measures to check such crimes. The Dowry Prohibition Act, 1961 was amended in 1984 and 1986 to make the law more stringent. The Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872 were amended to deal effectively with dowry death cases.